

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड

6th फ्लोर, लिली ट्रेड विंग, जहाँगीराबाद, भोपाल - 462008

फोन 0755-2780600, ई-मेल - tpu@mptourism.com

07 मार्ग सुविधा केन्द्रों (बाउन फील्ड) की निविदा हेतु प्री बिड मीटिंग दिनांक 13/07/2021

क्र.	निवेशकों द्वारा पूछे गये प्रश्न	म.प्र. पर्यटन बोर्ड द्वारा दिये गये उत्तर
1	WSA का फूड मेन्यू किसका होगा और सामग्री के दर कौन तय करेगा ?	संचालनकर्ता तय करेगा ।
3	क्या WSA में आवासीय रूम बनाये जा सकेंगे ?	मार्ग सुविधा केन्द्रों की नीति (2016) यथा संशोधित 2019 की कंडिका 3.1.9(B) के अनुसार अनुमति दी जा सकती है ।
4	सभी पेपर ऑन लाइन जमा होंगे अथवा ऑफ लाइन भी जमा कराना होगा ?	RFP की कंडिका 2.2 एवं 2.5 के अनुसार जानकारी केवल ऑन लाइन ही मान्य होगी।
7	बियर बार की अनुमति पर्यटन विभाग द्वारा दी जायेगी अथवा नहीं ?	WSA में बियर बार की सुविधा नहीं है ।
8	सालाना किराया कितना तय होगा ?	वार्षिक लीज रेंट प्रीमियम राशि पर एक प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगा ।
9	पुरानी फर्म होने पर प्रोपराइटर का नेटवर्थ मान्य किया जायेगा या नहीं ?	नेटवर्थ आवेदक / फर्म जिसने निविदा प्रस्तुत किया है, की मान्य होगी ।
10	टेंडर में नेटवर्थ एवं टर्न ओवर का क्या प्रावधान है ? नेटवर्थ/टर्न ओवर के आधार पर एक से अधिक WSA हेतु टेंडर भरा जा सकता है ?	RFP की कंडिका 4.1.2 के अनुसार निविदा में नेटवर्थ 25.00 लाख अथवा टर्न ओवर 50.00 लाख होने पर केवल एक WSA के लिये टेंडर भर सकेगा । एक से अधिक निविदा पर आवेदन करने के लिए टर्न ओवर एवं नेटवर्थ टेंडर की संख्या के गुणांक के अनुसार होगी । एक से अधिक WSA के लिये पृथक - पृथक आवेदन किया जा सकता है। For example: - if a bidder applies for two WSAs his eligible financial capability will be considered as following : i) Net Worth – 25x2 = 50.00 lakh OR ii) Last 3 years turnover each year – 50x2 = 100 lakh for each year If a bidder applies for three WSAs his eligible financial capacity will be considered as following : i) Net Worth – 25x3 = 75.00 lakh OR ii) Last 3 years turnover each year – 50x3 = 150 lakh for each year Similarly for higher numbers of WSAs.

Domin

क्या मार्ग सुविधा केन्द्र अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् समय और बढ़ेगी ?	अनुबंध की अवधि 30 वर्ष पश्चात् नीति की कंडिका क्रमांक 3.1.5 अनुसार कार्यवाही जा सकती है ।
वर्तमान में बिड पर जारी मार्ग सुविधा केन्द्र की निर्माण स्थिति सही नहीं है, तो इस स्थिति में क्या म.प्र. टूरिज्म बोर्ड उसे सुधार कर लीज पर देंगे ।	मार्ग सुविधा केन्द्रों की नीति (2016) यथा संशोधित 2019 की कंडिका 3.2.9 एवं RFP की कंडिका 3.1 के प्रावधान अनुसार " जहाँ है जैसी है "(As is Where is Condition) की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी ।
13 ईएमडी की राशि वापिस की जावेगी अथवा नहीं ? ईएमडी की राशि का समायोजन हो सकता है अथवा नहीं ?	RFP की कंडिका 2.6 के प्रावधान अनुसार ईएमडी की राशि वापिसी योग्य है । एवं ईएमडी की राशि का समायोजन भी किया जा सकता है ।

Dmini